

उपखण्ड अधिकारी

शंभुलाल

मुकाम : रावतभाटा

क्रिम मुकदमा

वादा

बनाम

शिकरी वार्ड

नं०

14

सन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
20-11-2024	<p>पत्रावली पेश हुई आरी शिवाक संघ द्वारा व्यापिक कार्य स्थगित कराने से। अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5/12/24 को पेश की जावे।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
05-12-2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को प्रतिवादी सं. 2, 6 के नोटिस औसैस प्रस्तुत करने के पूर्व में दिनांक 19.06.2024 से अब तक कुल 07 अवसर दिये जाने के बावजूद भी वकील वादी नोटिस औसैस प्रस्तुत करने में असफल रहे। इससे प्रतीत होता है कि वकील वादी वादा-पत्र को चलाना नहीं चाहते हैं। <del>अतः</del> वकील वादी का वादा- पत्र इसी स्तर पर CPC के (0)9(R)5 के अन्तर्गत वकील वादी द्वारा नये सम्मन लाने में असफल रहने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो दर्ज रजिस्टर से फ़म की जाकर शामिल दफ़्तर हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	

